

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 358]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 28 सितम्बर 2020—आश्विन 6, शक 1942

विधि और विधायी (निर्वाचन) कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 28 सितम्बर 2020

क्र. 84(3)-वि-निर्वा.-चार-2020-79.— भारत निर्वाचन आयोग की निम्नांकित अधिसूचना सर्व-साधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है :—

क्रमांक 434-म. प्र.-वि.स.-2020, दिनांक 28 सितम्बर 2020.

अरूण कुमार तोमर, सचिव.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110 001

नई दिल्ली, दिनांक 28 सितम्बर, 2020—6 आश्विन, 1942 (शक)

अधिसूचना

संख्या 434-म.प्र.-वि.स.-2020.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 21 के उपबन्धों के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग राज्य सरकार से परामर्श से एतद्वारा, मध्यप्रदेश के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के रिटर्निंग ऑफिसरों की नियुक्ति से सम्बन्धित, अपनी अधिसूचना संख्या 434-म. प्र.-वि. स.-2018, दिनांक 20 सितम्बर, 2018, समय-समय पर यथा संशोधित, में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्;

उक्त अधिसूचना की संलग्न सारणी के स्तम्भ (2) में, नीचे दिये गये निर्वाचन क्षेत्रों के सामने विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएगी :—

सारणी

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक एवं नाम (1)	रिटर्निंग आफिसर (2)
7-दिमनी	संयुक्त कलेक्टर, मुरैना

आदेश से,

हस्ता./-

(सुमन कुमार दास)

सचिव,

भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110 001

New Delhi, Dated 28th September, 2020—6 Asvina, 1942 (Saka)

NOTIFICATION

No. 434-MP-LA-2020.—In pursuance of the provisions of Section 21 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India, hereby, in consultation with Government of Madhya Pradesh makes the following amendment in its Notification No. 434-MP-LA-2018, dated 20th September, 2018, as amended from time to time, relating to appointment of Returning Officers of Assembly Constituencies in the State of Madhya Pradesh;

In column (02) of the table appended to the said Notification, the existing entries against the Assembly Constituencies mentioned below shall be substituted with the following entries:—

TABLE

No. & Name of Assembly Constituency (1)	Returning Officer (2)
7-Dimani	Joint Collector, Morena

By order,

Sd./-

(SUMAN KUMAR DAS)

Secretary,

Election Commission of India.